



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक – 24.06.2024

थाना नगीना पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर के शरणदाता अभियुक्त को हिस्ट्रीशीटर द्वारा चोरी किये गये पीली धातु के आभूषण एवं अवैध शस्त्रों सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण –

आज दिनांक 24.09.2024 को थाना नगीना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना नगीना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 200/2024 धारा 305(क)/331(4) बीएनएस, मु0अ0सं0 228/2024 धारा 305(क)/331(4) बीएनएस एवं मु0अ0सं0 240/2024 धारा 305(क)/331(4) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त नौशाद पुत्र कमरुद्दीन निवासी ग्राम आले अलीपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर अपने रिश्तेदार तहसीम पुत्र यासीन निवासी ग्राम मुगलवाला थाना नगीना जनपद बिजनौर के घर पर आया हुआ है। इस सूचना पर थाना नगीना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो अभियुक्त नौशाद मौके पर मौजूद नहीं मिला। अभियुक्त नौशाद का रिश्तेदार तहसीम पुत्र यासीन के घर की तलाशी लेने पर 02 अवैध तमंचे 315 बोर, 06 कंगन (पीली धातु), एक गले का हार (पीली धातु), दो हाथ के फूल (पीली धातु), दो कान को टॉप्स (पीली धातु) एवं नकबजनी में प्रयुक्त लोहे का एक सब्बल, 02 रिंच, एक लोहे की रॉड व दो बड़े पेचकस व अभियुक्त नौशाद के कपडे व बैग बरामद हुआ। इस संबंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 273/2024 धारा 249(ख)/317(5) बीएनएस व धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।



पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त तहसीम ने पूछताछ पर बताया कि मैं और नौशाद आपस में रिश्तेदार हैं तथा नौशाद की पत्नी का मैं मामा हूं। नौशाद थाना नगीना का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है तथा इसके खिलाफ थाना नगीना पर व आसपास के थानों पर काफी मुकदमे लिखे हुए हैं, इसलिये आये दिन किसी भी थाने की पुलिस नौशाद को पकड़ने के लिये उसके घर पर आती रहती है इसलिये वह ज्यादा समय घर से बाहर ही रहता है। नौशाद पुलिस से बचने के लिये मेरे घर पर आ जाता है तथा चोरी का सामान भी रखता है। पिछले करीब चार – पांच दिन से नौशाद मेरे घर पर ही रुका हुआ था अभी कुछ देर पहले ही घर से कहीं बाहर गया है। इनमें से एक तमंचा मेरा है तथा बाकि सभी सामान नौशाद लेकर आया था।

अभियुक्त तहसीम द्वारा अपने घर में शातिर हिस्ट्रीशीटर नौशाद को शरण दी जा रही है। अभियुक्त नौशाद के विरुद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों पर दो दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

तहसीम पुत्र यासीन निवासी ग्राम मुगलवाला थाना नगीना जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

02 अवैध तमंचे 315 बोर,

06 कंगन (पीली धातु),

एक गले का हार (पीली धातु),

दो हाथ के फूल (पीली धातु),

दो कान को टॉप्स (पीली धातु)

नकबजनी में प्रयुक्त लोहे का एक सब्बल, 02 रिंच, एक लोहे की रॉड व दो बडे पेचकस व अभियुक्त नौशाद का कपडे व बैग

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 श्री गजेन्द्र उज्जवल थाना नगीना जनपद बिजनौर

2-हे0कां0 638 अंकित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर

3-हे0कां0 730 विपिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर

4-कां0 1070 राजेश कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर

5-कां0 2499 रिंकु कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शिवालाकलां

दिनांक – 24.09.2024

थाना शिवालाकलां पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.09.2024 को वादी श्री गुलजारी पुत्र सरदार सिंह निवासी ग्राम मालवा थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ने थाना शिवालाकलां पर तहरीर दी कि वादी का पुत्र अंकित घर से ट्यूबवैल पर जाने के लिये जंगली जानवर (गुलदार) से बचाव हेतु 315 बोर का तमंचा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर लेकर गया था। ट्यूबवैल पर जाने के पश्चात अंकित द्वारा तमंचा लोड करने लिये कारतूस नाल में डालते समय अचानक गोली चल गयी और गोली अंकित के बायें पैर की जांघ में लगी। वादी अपने पडोसियों के साथ तमंचे सहित अपने पुत्र को घायल अवस्था में लेकर थाने पर आया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 119/24 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम अंकित उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा अभियुक्त अंकित उपरोक्त को पुलिस हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, जिसकी नाल में एक खाली खोखा फंसा था, बरामद किया गया। मजरुब/अभियुक्त अंकित उपरोक्त को पुलिस सुरक्षा में मेडिकल परीक्षण हेतु सी0एच0सी0 नूरपुर भेजा गया। मजरुब/अभियुक्त अंकित उपरोक्त का उपचार जिला चिकित्सालय, बिजनौर में चल रहा है। जिला चिकित्सालय से मजरुब/अभियुक्त अंकित कुमार उपरोक्त के डिस्चार्ज होने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अंकित कुमार पुत्र गुलजारी निवासी ग्राम मालवा थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री मुकेश राजौरा थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर
- 2.एच0एम0 332 शिवकुमार थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर
- 3.सन्तरी हो0गा0 1315 मगनपाल थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 24.09.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 905/2024 धारा 115(2)/118(1)/351(3)/ 109 बीएनएस0 में वांछित तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 21/09/2024 को वादी समीर पुत्र फुरकान निवासी इरशाद कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. शादाब पुत्र राशिद 2. अलतमश पुत्र राशिद व 3. शाबान पुत्र राशिद निवासीगण मौ0 इरशाद कालोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने घर में घुसकर वादी व उसके परिजनों के साथ धारदार हथियारों से मारपीट की जिससे उनको चोटे आयी है। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 905/24 धारा 115(2)/118(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 351(3)/109 बीएनएस0 की वृद्धि की गयी।



कार्यवाही:-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. शादाब पुत्र राशिद निवासी मौ0 इरशाद कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2. अलतमश पुत्र राशिद निवासी मौ0 इरशाद कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 3. शाबान पुत्र राशिद निवासी मौ0 इरशाद कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1.शादान पुत्र राशिद निवासी मौ0 इरशाद कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.अलतमश पुत्र राशिद निवासी मौ0 इरशाद कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.शाबान पुत्र राशिद निवासी मौ0इरशाद कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 मृदुल कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर
- 2.का0 1892 दीपक कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर
- 3.का0 1478 विपिन कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक – 24.09.2024

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 454/24 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस से सम्बंधित 02 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.09.2024 को वादी श्री दीपक अग्रवाल पुत्र राजेश अग्रवाल निवासी मौ0 खातियान निकट भूत कोठी कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 21.09.2024 को वादी की पत्नी सरस्वती क्षत्रिय नगर स्थित शुभम मंडप में गयी थी जहां किसी अज्ञात महिला ने वादी की पत्नी के गले से सोने की चेन तोड़ ली, क्योंकि मंडप में महिलाएं ही थीं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 454/24 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही –

आज दिनांक 24.09.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में प्रकाश में आये अभियुक्त 1. ब्रजेश पुत्र घसीटा निवासी मौ0 इस्लामनगर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व अभियुक्ता 2. राखी पत्नी वीर सिंह उर्फ वीरु निवासी मौ0 इस्लामनगर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. ब्रजेश पुत्र घसीटा निवासी मौ0 इस्लामनगर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. राखी पत्नी वीर सिंह उर्फ वीरु निवासी मौ0 इस्लामनगर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

पीली धातु की चेन के 02 टुकड़े तथा 2180 रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री योगेन्द्र कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2. हे0कां0 723 शिव कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3. हे0कां0 133 राहुल कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
4. कां0 12 अजयपाल थाना धामपुर जनपद बिजनौर
5. म0कां0 1721 आंचल थाना धामपुर जनपद बिजनौर
6. म0कां0 324 प्रवीणा थाना धामपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 24.09.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 778/24, 899/24, 904/24, 901/24 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 24.09.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 778/24, 899/24, 904/24, 901/24 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त शिवम पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर हाल निवासी आदमपुर फाटक थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

उक्त अभियोगो से सम्बंधित अन्य अभियुक्तगण हेमेन्द्र उर्फ छोटू, शलभ उर्फ सिद्धार्थ, अरुण कुमार व रजत को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा जा चुका है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शिवम पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर हाल निवासी आदमपुर फाटक थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

अभियुक्त शिवम का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 899/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 904/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 901/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 778/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 मृदुल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. कां0 1892 दीपक कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. कां0 1478 विपिन कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर

दिनांक – 24.09.2024

थाना मंडावर पुलिस ने गौवध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.09.2024 को थाना मंडावर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान थाना मंडावर क्षेत्रान्तर्गत नरेश कुमार के खेत ग्राम राजारामपुर के जंगल में गोवंशीय अवशेष व पशु कटान के उपकरण बरामद किये गए। घटना मे सलिस अभियुक्त मौका पाकर फरार हो गये थे। इस संबंध में थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 242/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम गोवध अधिनियम बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.असलम पुत्र अहसान 2.नसीम पुत्र रफिक अहमद 3.जावेद पुत्र अनीस 4.मकबूल उर्फ काले पुत्र रसीद 5.सलमान पुत्र उस्मान 6.फैय्याज पुत्र अनीस अहमद समस्त निवासीगण ग्राम राजारामपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।



कार्यवाही –

आज दिनांक 24.09.24 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त जावेद पुत्र अनीस निवासी ग्राम राजारामपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

उक्त अभियोग में वांछित अन्य 05 अभियुक्तगण 1.असलम 2.नसीम 3.मकबूल उर्फ काले 4.सलमान 5.फैय्याज को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जावेद पुत्र अनीस निवासी ग्राम राजारामपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर

2.कां0 1117 अजय तोमर थाना मंडावर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट—थाना नजीबाबाद

दिनांक 24.09.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने 02 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 24.09.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.योगेश पुत्र स्व0 जयपाल सिंह निवासी कबाडीवाला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 2.कौशल पुत्र चन्द्रभान निवासी शांतिकुन्ज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 477/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता—

- 1.योगेश पुत्र स्व0 जयपाल सिंह निवासी कबाडीवाला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.कौशल पुत्र चन्द्रभान निवासी शांतिकुन्ज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण—

01 तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1.उ0नि0 महेन्द्र सिंह नागर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
- 2.हे0का0 523 अमित थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
- 3.आरक्षी 815 सचिन कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
- 4.आरक्षी 1775 विजय थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 24.09.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 460/24 धारा 69/352/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्तो को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.09.2024 को वादिनी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त रोहित पुत्र रोहताश निवासी ग्राम सोहंजनी थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ गलत काम किया एवं रोहित व उसके एक दोस्त नाम पता नामालूम द्वारा वादिनी के साथ गाली गलौच करते हुए वादिनी की वीडियो वायरल करने एवं जान से मारने की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 460/2024 धारा 69/352/351(3) बीएनएस बनाम रोहित व एक व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही –

आज दिनांक 24.09.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रोहित पुत्र रोहताश निवासी ग्राम सोहंजनी थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रोहित पुत्र रोहताश निवासी ग्राम सोहंजनी थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.कां0 1627 मोबीन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक – 24.09.2024

थाना नगीना पुलिस ने 02 अभियुक्तों को चोरी की गयी मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.09.2024 को थाना नगीना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मतलूब पुत्र अय्यूब 2.शमशाद अहमद पुत्र जलील निवासीगण ग्राम टांडामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को चोरी की गयी मोटरसाइकिल CT100 रजि0सं0 UP20BB2759 सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 272/2024 धारा 317(2)317(5) बीएनएस बनाम मतलूब आदि कुल 02 नफर पंजीकृत किया गया । पूछताछ पर अभियुक्तों ने बताया कि यह मोटरसाइकिल उन्होने तीन दिन पहले नगीना कोटद्वार रोड पर टांडामाईदास गांव से पहले शहनाई बेंकट हॉल के पास से चोरी की थी । उक्त मोटरसाइकिल चोरी के सम्बंध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 200/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत है । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. मतलूब पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम टांडामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
2. शमशाद अहमद पुत्र जलील निवासी ग्राम टांडामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी –

मोटरसाइकिल CT100 रजि0सं0 UP20BB2759

अभियुक्त मतलूब का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 651/06 धारा 13 जी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 293/22 धारा 13 जी एक्ट थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 200/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 272/2024 धारा 317(2)317(5) बीएनएस थाना नगीना जनपद बिजनौर

अभियुक्त शमशाद का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 1131/18 धारा 147/307/323/324/341/354/392/504 भादवि थाना को0 शहर बिजनौर
2. मु0अ0सं0 200/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 272/2024 धारा 317(2)317(5) बीएनएस थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 उदयवीर सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर
2. हे0कां0 638 अंकित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
3. कां0 1056 अंकित सौलानिया थाना नगीना जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर

दिनांक – 24.09.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 372/2024 धारा 115(2)/351(2)/352/109/191(2)/191(3)/190/308(5) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट में वांछित 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 22.09.2024 को वादी श्री सांवरा रेवारी पुत्र गणपत निवासी मौहल्ला बुद्धपाडा कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर मूल निवासी ग्राम सेहाडा थाना परसावली जनपद चित्तौड राजस्थान ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 22.09.2024 को रात्रि 21.00 बजे दो मोटरसाइकिल पर सवार 04 अज्ञात व्यक्ति कल्याणी अस्पताल के सामने उसकी फालूदा की ठेली पर आये तथा उनके द्वारा वादी के साथ



गाली गलौच करते हुये मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी । इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 372/2024 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस बनाम 04 अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया ।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 109/191(2)/191(3)/190/308(5) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्तगण 1.भरत तेली पुत्र कैलाश चन्द निवासी ग्राम दरिबा थानापुर जनपद भीलवाडा राजस्थान 2.चन्दन पुत्र छोटे निवासी मौ0 अम्बेडकरनगर कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 3.दिपेश पुत्र यशपाल निवासी ग्राम ईनामपुरा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 4.शुभम पुत्र दिनेश निवासी ग्राम पृथ्वीपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 5.अनिलेश पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम तिमरपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 6.योगेश उर्फ खडगू पुत्र त्रिलोकी निवासी ग्राम ईनामपुरा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 7.मोन्टी उर्फ हिमांशू पुत्र जयपाल निवासी ग्राम रायपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 24.09.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.भरत तेली 2.चन्दन 3.दिपेश 4.शुभम व 5.अनिलेश को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त दिपेश की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 4/25 शस्त्र अधि0 की वृद्धि की गयी । शेष अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास जारी है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त भरत तेली व वादी सांवरा दोनों लोग फालूदा का ठेला लगाते हैं तथा भरत तेली नहीं चाहता था कि सांवरा उसकी ठेली के पास ठेली लगाये जिससे उसका नुकसान हो तथा भरत तेली अपने साथियों के साथ मिलकर 15 हजार रुपये प्रति महीना की अवैध वसूली फालूदा की ठेली खड़ी करने के एवज में सांवरा से मांगते थे। सांवरा द्वारा अवैध वसूली की मांग पूरी न करने पर उसे जान से मारने की धमकी देते थे। दिनांक 22.09.2024 को सांय लगभग 9 बजे भरत तेली ने अपने साथियों के साथ मिलकर उपरोक्त घटना को अंजाम दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. भरत तेली पुत्र कैलाश चन्द निवासी ग्राम दरिबा थानापुर जनपद भीलवाडा राजस्थान
2. चन्दन पुत्र छोटे निवासी मौ0 अम्बेडकरनगर कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3. दिपेश पुत्र यशपाल निवासी ग्राम ईनामपुरा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
4. शुभम पुत्र दिनेश निवासी ग्राम पृथ्वीपुर थाना कोतवाली शहर बिजनौर
5. अनिलेश पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम तिमरपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त चन्दन उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 959/2023 धारा 354/452/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना कोतवाली शहर बिजनौर
2. मु0अ0सं0 372/2024 धारा 115(2)/352/351(2)/109/191(2)/191(3)/190/308(5) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट व 4/25 शस्त्र अधि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दिपेश उपरोक्त –

1. मु0अ0सं 1163/2018 धारा 324/352 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 145/2022 धारा 302/201/34 भादवि थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं 157/2022 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 92/2024 धारा 10 गुण्डा अधि0 थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 372/2024 धारा 115(2)/352/351(2)/109/191(2)/191(3)/190/308(5) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट व 4/25 शस्त्र अधि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. श्री जयभगवान सिंह प्रभारी निरीक्षक किरतपुर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 श्री कुलदीप शर्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
4. हे0कां0 447 गौतम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
5. कां0 1177 पुनीत त्यागी थाना जनपद किरतपुर
6. कां0 1015 अजय राठी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
7. कां0 1206 सुशील कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
8. कां0 1780 सचिन पंवार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
9. कां0 1259 गौरव कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर